



वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला प्रोग्राम प्रशाखा, आई0सी0डी0एस0)

बिहार सरकार।

मोबाईल नं0-9431005039

E-mail : dpo.icds.vaisha-bih@gov.in

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई0सी0डी0एस0), वैशाली जिला अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर ऑगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधी विज्ञापन

विज्ञापन संख्या-04 / 2024

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वैशाली में समेकित बाल विकास सेवाएँ (ऑगनवाड़ी सेवाएँ) अन्तर्गत ऑगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक-1846 दिनांक-10.06.2010 एवं संशोधन पत्रांक-5994 दिनांक-31.12.2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त मार्गनिर्देशों के आलोक में वैशाली जिला अन्तर्गत कार्यरत इच्चुक ऑगनवाड़ी सेविकाओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. वैशाली जिला में रिक्त 42 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	अभ्यर्थण कोटि	रिक्त की संख्या
1.	अनुसूचित जाति	06
2.	अनुसूचित जन जाति	01
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	09
4.	पिछड़ा वर्ग	05
5.	पिछड़ा वर्ग की महिला	02
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04
7.	अनारक्षित वर्ग	15
कुल		42

2. रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की समय-सीमा निम्नवत् है:-

आवेदन प्राप्ति की तिथि- विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों तक आवेदन प्राप्त किया जायेगा। (अन्तिम तिथि-विज्ञापन प्रकाशन के 21वे दिन) को संध्या 5:00 बजे तक प्राप्त आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।)

ऑनलाईन आवेदन जिले की अधिकारिक वेबसाईट <http://viashali.nic.in> के साथ-साथ <http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx> पर प्रदर्शित है एवं अभ्यर्थी इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर, आवेदन समर्पित करेंगी।

3 आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाईन आवेदन की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय (आई0सी0डी0एस0, समाज कल्याण विभाग), हाजीपुर समाहरणालय, वैशाली पिन कोड-844101 के पते पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए लिफाफे के उपर बाँयी ओर "ऑँगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन " लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों-हाथ स्वीकार नहीं किए जायेंगे। बिना ऑनलाईन आवेदन अथवा निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे। आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगी।

4. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगा:-

- (1) मैट्रिक परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र। (यदि हो तो, इन्टर स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण एवं अंक पत्र)
- (2) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र।
- (3) राजपत्रित पदाधिकारी, वैशाली द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
- (4) जाति-प्रमाण पत्र आरक्षित वर्गों के लिए जो लागु हो, यथा-जाति प्रमाण पत्र, कीमीलीयर रहित प्रमाण पत्र (अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है), अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग हेतु संबंधित प्रमाण पत्र)
- (5) अनुभव प्रमाण पत्र- अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों से सेविका के पद पर कार्य किया गया है।
- (6) जिन ऑँगनवाड़ी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो, संबंधित प्रमाण पत्र।
- (7) अन्य प्रमाण पत्र जो लागु हो। (दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि)

5. ऑँगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका (अनुबंध) के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता:-

- (1) शैक्षणिक योग्यता:- न्यूनतम योग्यता-मैट्रिक / समकक्ष उत्तीर्ण
- (2) चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अर्थात्-01.01.2024 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
- (3) उम्र सीमा:- विज्ञापन वर्ष 2024 की पहली जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छुट दी जायेगी।
अभ्यर्थी को इस आशय का अन्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगे।

6. वांछित सूचनाएँ:-

- (1) शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जायेगी।
- (2) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगी।

- (3) आँगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत् अनुमति प्राप्त की जायी है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा, तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जायेगा।
- (4) मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त (Extra) विषयों के अंको को नहीं जोड़ा जायेगा। मात्र अनिवार्य (Compulsory) एवं ऐच्छिक (Optional) विषयों को जोड़ा जायेगा।
- (5) प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं (इन्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) अकेले लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार /राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जायेंगे।
- (6) प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएँगे। उसके पश्चात् सेवा में प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक केवल उसी अवधि के लिए देय होगी, जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हों
- (7) विभिन्न श्रोतों से प्राप्त अंको के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जायेगी
- (8) यदि दो सेविकाओं का समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा जायेगा।
- (9) अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आँगनवाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगी।
- (10) उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-5543 दिनांक 04.10.2023 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय / परिश्रमिक 25000/-रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120/- प्रति आँगनवाड़ी केन्द्र यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/- प्रतिमाह) निर्धारित है।
- (11) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

नोट:- संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-4068 दिनांक-28.08.2024 के निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी।

विस्तृत मार्गनिर्देश यथा अर्हता/आवेदन देने की प्रक्रिया आदि संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय (ICDS), वैशाली के सूचना पट्टी अथवा वैशाली जिला के अधिकारी वेबसाईट <http://viashali.nic.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

ke
6/12
जिला पदाधिकारी
वैशाली।